



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 18.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियो टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बुलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एण्टी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 18.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रैपुरा पुलिस टीम ने 02 वाँछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

(i). उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी शिवलाल द्वारा मु0अ0सं0 105/25 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त अंशित मौर्या पुत्र श्रीकान्त मौर्या निवासी बोझ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii) अपराध निरीक्षक श्री प्रभुनाथ यादव थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट मय हमराह अश्वनी कुमार द्वारा मु0अ0सं0 122/25 धारा 65(1), 333, 351(2) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त गुड्डु उर्फ ज्ञानचन्द्र पुत्र नत्थू प्रसाद निवासी अगरहुण्डा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्षन के क्रम में आज दिनांक 18.06.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त पैरवी का कार्य देख रहे पैरोकार तथा न्यायालय के कोर्ट मुहर्रि के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस गोष्ठी में इस वर्ष में हुई पैरवी के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी एजेन्डा बिन्दु थाना काजलिस्ट रजिस्टर, दिनांकवार काजलिस्ट रजिस्टर, साक्षी उपस्थित रजिस्टर, पर्चा फैसला रजिस्टर, रजिस्टर आरोप तय 313 सीआरपीसी, निर्गत सम्मन दर्ज करने हेतु रजिस्टर, रिमाण्ड रजिस्टर एवं सम्मन/वारण्टी रजिस्टर तैयार करने व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को शीघ्र सजा दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा शाखा सम्मन सेल द्वारा कार्यालय के अन्दर जनपद रजिस्टर/बाहर रजिस्टर में अंकित करके सम्बन्धित थानों की डाकबहियों में अंकित करके डाक पैरोकार के माध्यम से थानों में तामिल करने हेतु भेजे एवं सजा दिलाने हेतु पैरोकारों द्वारा बुलाए गये साक्षियों की शत प्रतिशत साक्ष्य सुनिश्चित कराने हेतु, माननीय न्यायालय में साक्षियों के हस्ताक्षर कराने हेतु रजिस्टर रखने एवं उसमें हस्ताक्षर कराने हेतु कोर्ट मुहर्रि को निर्देशित किया गया।

इस दौरान वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, सम्मन सेल प्रभारी उ0नि0 श्री ननकऊ गौतम, न्यायिक सम्मन सेल प्रभारी श्री एस0के0 त्रिपाठी, पीआरओ श्री प्रदीप पाल, हे0का0 रामनारायन मॉनीटरिंग सेल एवं समस्त थानों को हे0का0 मुन्शी/का0 मुन्शी एवं पैरोकार उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ तथा उनकी टीम द्वारा मु.अ.स. 184/2025 धारा- 103(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के नामजद वाँछित अभियुक्त रामनिवास पाण्डेय पुत्र गया प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम पिपरौंद थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.06.2025 को वादी श्री राकेश सिंह पुत्र श्री रामशिरोमणि आरख निवासी ग्राम पिपरौंद थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि आज शाम 06.30 बजे मेरे घर के थोड़ी दूर में पड़ोस के रहने वाले चन्द्रकान्त पाण्डेय उर्फ छोटू पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र पाण्डेय, रजनीश पाण्डेय पुत्र श्रीनिवास पाण्डेय, रमानिवास पाण्डेय पुत्र गयाप्रसाद पाण्डेय, जानू पाण्डेय पुत्र रमानिवास पाण्डेय निवासी गण पिपरौंद थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा एक राय

होकर लाठी डंडे से जान से मारने की नियत से वादी के पिता श्री रामशिरोमणि को गम्भीर चोट पहुंचाना तथा गला पकड़कर जमीन पर पटककर लात मारना जिससे वादी के पिता की मृत्यु हो जाना तथा वादी राकेश सिंह व सुधीर, सुनील, मंजीत पुत्रगण राजकुमार व उनकी माता श्रीमती गिरजा देवी को गम्भीर चोट पहुंचाना। इस सम्बन्ध में मु.अ.स. 184/2025 धारा- 103(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम 1. चन्द्रकान्त पाण्डेय उर्फ छोटू पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र पाण्डेय 2. रजनीश पाण्डेय पुत्र श्रीनिवास पाण्डेय 3. रमानिवास पाण्डेय पुत्र गयाप्रसाद पाण्डेय 4. जानू पाण्डेय पुत्र रमानिवास पाण्डेय निवासीगण पिपरौंद थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 12.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक मऊ ने अथक प्रयास करते हुये अभियुक्त 1. चन्द्रकान्त पाण्डेय उर्फ छोटू पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र पाण्डेय उम्र 28 वर्ष 2. रजनीश पाण्डेय पुत्र श्रीनिवास पाण्डेय उम्र 20 वर्ष निवासीगण पिपरौंद थाना मऊ जनपद चित्रकूट को ग्राम जोरवारा नहर पुलिया थाना मऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 18.06.2025 को शेष वांछित अभियुक्त रामनिवास पाण्डेय पुत्र गया प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम पिपरौंद थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह
2. मुख्य आरक्षी बृजेश कुमार
3. मुख्य आरक्षी चालक राजकुमार

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री शिवाआसरे एवं पैरोकार आरक्षी हिमांशु द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश जे0एम0 मऊ श्री एस आनंद द्वारा आज दिनांक 18.06.2025 को थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 79/20 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त विष्णु अनुरागी पुत्र मुन्ना अनुरागी निवासी पटवा मोहल्ला कुसुमा वार्ड नंबर 13 महाराजपुर थाना महाराजपुर जनपद छतरपुर मध्य प्रदेश को 3500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह व क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर व एसओजी की संयुक्त टीम ने थाना राजापुर अन्तर्गत ग्राम पराकों में हुई चोरी का सफल अनावरण कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 04 अंगूठी (03 महिला, 01 पुरुष), 01 जोड़ी झुमकी, 01 अदद जंजीर पीली धातु, 07 अदद सिक्के छोटे, 02 अदद बड़े लक्ष्मी गणेश, 02 अदद सिक्के रोनी विक्टोरिया, 01 अदद हाफ पेटी, 01 अदद पायजेब, 05 जोड़ी (दस नग) पायल, 07 अदद पतले कड़े, 03 अदद मोटे कड़े, 01 अदद लक्ष्मी कर्धन सफेद धातु, 02 अदद पर्स, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम व कुल 43,000 रुपये बरामद किए।

अभियुक्तों को नाम पता का विवरण-

1. राघवेन्द्र कुशवाहा उर्फ प्रिन्स पुत्र धर्मराज कुशवाहा निवासी कस्बा सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा मध्य प्रदेश
2. शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार निवासी मन्कुवाँर थाना मऊ जनपद चित्रकूट
3. विनोद कुशवाहा पुत्र स्व0 भोला प्रसाद कुशवाहा निवासी देवरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना मध्य प्रदेश

अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त राघवेन्द्र उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 420/2020 धारा 392 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद सतना मध्य प्रदेश

2.मु0अ0सं0 135/2025 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

अभियुक्त विनोद कुशवाहा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 90/12 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी कटनी मध्य प्रदेश

2.मु0अ0सं0 221/11 धारा 392/411 भादवि थाना जीआरपी कटनी मध्य प्रदेश

3.मु0अ0सं0 237/11 धारा 392/411 भादवि थाना जीआरपी कटनी मध्य प्रदेश

4.मु0अ0सं0 96/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना जीआरपी मानिकपुर चित्रकूट उ0प्र0

5.मु0अ0सं0 19/21 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी मानिकपुर चित्रकूट उ0प्र0

6.मु0अ0सं0 21/2021 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी मानिकपुर चित्रकूट उ0प्र0

7.मु0अ0सं0 35/2021 धारा 392/411 भादवि थाना जीआरपी मानिकपुर चित्रकूट उ0प्र0

8.मु0अ0सं0 55/17 धारा 395/307 भादवि थाना जीआरपी शहडोल मध्य प्रदेश

9.मु0अ0सं0 102/17 धारा 380 भादवि थाना जीआरपी शहडोल मध्य प्रदेश

10.मु0अ0सं0 42/21 धारा 392/34 भादवि थाना जीआरपी शहडोल मध्य प्रदेश

11.मु0अ0सं0 61/2021 धारा 188/269/270 भादवि व 56 ख आपदा प्रबन्धन अधिनियम थाना धारकुण्डी जनपद सतना मध्य प्रदेश

12.मु0अ0सं0 169/2011 धारा 379 भादवि थाना जीआरपी सतना मध्य प्रदेश

13.मु0अ0सं0 06/2013 धारा 392 भादवि थाना जीआरपी सतना मध्य प्रदेश

14.मु0अ0सं0 06/2010 धारा 379 भादवि थाना जीआरपी सतना मध्य प्रदेश

15.मु0अ0सं0 21/2009 धारा 341/342/254/506बी/323/34 भादवि थाना धारकुण्डी सतना मध्य प्रदेश

16.मु0अ0सं0 32/2009 धारा 323/294/506 भादवि थाना धारकुण्डी सतना मध्य प्रदेश

17.मु0अ0सं0 135/2025 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

अभियुक्त शिवबली निषाद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 415/2024 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.मु0अ0सं0

481/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

3. 482/2024 धारा 261/262 बीएनएस थाना कोत0 कर्वी जनपद चित्रकूट।

4. मु0अ0सं0 35/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना बरगढ़

5. मु0अ0सं0 72/2023 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना बरगढ़

6. मु0अ0सं0 73/2023 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना बरगढ़

7.मु0अ0सं0 89/2024 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना रैपुरा

8.मु0अ0सं0 101/2022 धारा 457/380/411/413 भादवि0 थाना रैपुरा

9.मु0अ0सं0 106/2022 धारा 457/380/411/413 भादवि0 थाना रैपुरा

10.मु0अ0सं0 35/2021 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना मऊ

11.मु0अ0सं0 26/2021धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मऊ

12.मु0अ0सं0 227/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मऊ

13.मु0अ0सं0 225/2023 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना मऊ

- 14.मु0अ0सं0 82/2024 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना भरतकूप
- 15.मु0अ0सं0 323/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी
- 16.मु0अ0सं0 65/2022 धारा 380/411 भादवि0 थाना शंकरगढ़ कमि० प्रयागराज
- 17.मु0अ0सं0 69/2022 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम थाना शंकरगढ़ कमि० प्रयागराज
- 18.मु0अ0सं0 135/2025 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट
- 19.मु0अ0सं0 158/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

बरामदगी-

1. 04 अंगूठी(03 महिला,01पुरुष)
2. 01 जोड़ी झुमकी
3. 01 अदद जंजीर पीली धातु
4. 07 अदद सिक्के छोटे
5. 02 अदद बड़े लक्ष्मी गणेश
6. 02 अदद सिक्के रोनी विक्टोरिया
7. 01 अदद हाफ पेटी
8. 01 अदद पायजेब
9. 05 जोड़ी(दस नग) पायल
10. 07 अदद पतले कड़े
11. 03 अदद मोटे कड़े
12. 01 अदद लक्ष्मी कर्धन सफेद धातु
13. 02 अदद पर्स,पैन कार्ड
14. निर्वाचन कार्ड
15. आधार कार्ड
16. एटीएम
17. कुल 43,000 रुपये

गिरफ्तारी का स्थान,दिनांक,समय-

छत्रपति साहूजी महाविद्यालय नरैना खेड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट, 18.06.2025 समय 01.00 बजे।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.06.2025 को अजय कुमार पाण्डेय पुत्र प्रयाग दत्त पाण्डेय निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट ने थाना राजापुर पर सूचना दी कि रात में वह अपने छत पर सोये हुए थे तथा सीढियों से बना दरवाजा खुला हुआ था रात में लगभग 12 से 02 बजे के बीच अज्ञात चोरो द्वारा उनकी अलमारी में रखे जेवरात व नगदी चोरी कर लिए। उनके के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है,जिसमें एक चोर का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 135/25 धारा 331(4),305ए बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी एसओजी एवं थानाध्यक्ष राजापुर को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। आज दिनांक 18.06.2025 को थानाध्यक्ष राजापुर को मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि आप जिस चोरी से सम्बन्धित अभियुक्तगणों की तलाश कर रहे है वह स्विफ्ट कार से छत्रपति साहूजी महाविद्यालय नरैना खेड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के पास खड़े है जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते है सूचना पर विश्वास कर त्वरित कार्यवाही कर थानाध्यक्ष राजापुर व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग

कर घेरघार कर अभियुक्त 1.राघवेन्द्र कुशवाहा उर्फ प्रिन्स पुत्र धर्मदास कुशवाहा नि0 कस्बा सेमरिया थाना सेमरिया जनपद रीवा (म.प्र.) 2.शिवबली उर्फ रामबली निषाद पुत्र राजकुमार नि0 मन्कुवाँर थाना मऊ जिला चित्रकूट 3.विनोद कुशवाहा पुत्र स्व0 भोला प्रसाद कुशवाहा नि0 ग्रा0 देवरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की जामातलाशी से क्रमशः अभियुक्त राघवेन्द्र कुशवाहा उपरोक्त से कब्जे से 02 अदद महिला अंगूठी पीली धातु , 03 अदद मोटे कडे , 02 जोड़ी पायल, 01 अदद सिक्का बड़ा लक्ष्मी गणेश, 02 अदद सिक्का रानी विक्टोरिया सफेद धातु व 01 अदद मोबाइल टच स्क्रीन वन प्लस कम्पनी का रंग स्लेटी, पर्स से आधार कार्ड 792416523474, SBI का ATM कार्ड 8174060224001088, पैन कार्ड JLYPK0169N, निर्वाचन कार्ड ROH2790335 तथा 11,600 रू0 नगद बरामद हुआ 2. अभियुक्त शिवबली उर्फ रामबली उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर , 01 अदद अंगूठी पुरुष पीली धातु, 01 अदद महिला अंगूठी पीली धातु व 01 अदद छोटी जंजीर पीली धातु तथा 01 अदद लक्ष्मी कर्धन, 01 जोड़ी पायजेब, 01 अदद सिक्के लक्ष्मी गणेश के सफेद धातु व 17,200 रू0 नगद व 01 जोड़ी जूता लखानी टच स्पोर्ट बरामद हुए 3.अभियुक्त विनोद कुशवाहा उपरोक्त के कब्जे से 01 जोड़ी कान की झुमकी पीली धातु, 07 अदद पतले कडे, 01 अदद हाफ पेटी, 02 जोड़ी पायल, 01 अदद बड़ा सिक्का लक्ष्मी गणेश, 04 अदद छोटे सिक्के लक्ष्मी गणेश सफेद धातु तथा दाहिनी जेब से 01 अदद कीपैड मोबाइल लावा कम्पनी ब्लैक रंग व पर्स से 14,200 रू0 नगद तथा 02 अदद आधार कार्ड अमन कुमार पांडेय आधार नं0 600746290359 तथा अजय कुमार पांडेय आधार नं0 822991816653 बरामद हुआ । अभियुक्त शिवबली उर्फ रामबली उपरोक्त के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस की बरामदगी के सम्बन्ध में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना मे प्रयुक्त कार नं0 MP 17 ZA 0712 को (स्विफ्ट) धारा 207 एमवी एक्ट के अन्तर्गत सीज किया गया। मुकदमा उपरोक्त में माल बरामदगी के सम्बन्ध धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली एसओजी टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री एम0पी0 त्रिपाठी
- 2.हे0का0 जितेन्द्र
- 3.का0 रोहित कुमार
- 4.का0 रोशन
- 5.का0 पवन राजपूत
- 6.का0 गोलू भार्गव

गिरफ्तार करने वाली थाना राजापुर टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह
2. उ0नि0 श्री पवन चौधरी
3. का0 लवकुश यादव
4. का0 शाकिर अली
5. का0 शिवम मिश्रा
6. का0 प्रकाश मिश्रा
7. का0 राहुल यादव
8. का0 रोहित आर्य
9. का0 अजय मिश्रा
10. का0 अरूण कुमार

